304

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया।

आदेश सं0–परिषद / क0लि0 / मान्यता 21815 / 2016–17 दिनांक – 31 दिसम्बर 2016

सेवा मे,

प्रबन्धक,
एस0बी0 इण्टरनेशनल स्कूल,
रौनी गंगाचक, भाटपाररानी, देवरिया

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं **एस0बी0 इण्टरनेशनल स्कूल, रौनी गंगाचक, भाटपाररानी, देवरिया** को दिनांक **31.12.2016** से दिनांक **30.12.2019** तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा **नर्सरी** से कक्षा **08** तक अंग्रेजी माध्यम की अनंन्तिम मान्यता का प्रदान करने की संसूचना देता हूँ :–

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबंध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुविधाएं करेगा।

i. प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

iii. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

v. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।

vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

Dr. Shazia Khan
Principal

Shashwat Educational Society
Chairman / Secretary

Principal
S. V. International School
Raval Ganga Chak Bhatpar Rani,
Deoria (U.P.)

Director
S. V. International School
Majhauli Raj, Deoria